74/17

अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2017 अनवानी श्री दाउलाल रंगा पुत्र श्री हरदास रंगा निवासी राजरंगो की गली, रताणी व्यासों का चौक, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दाउलाल रंगा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दाउलाल रंगा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थीः–

1. श्रीमान राजस्व तहसीलदार घडसाना के क्षेत्र के चक न0 13 एम.एल. डी.बी. के मु0न0 210/42 में 25 बीघा भूमि किस आसमियों के नाम से है कृपया सूचना उपलब्ध करावें।
2. चक नम्बर 13 एमएलडीबी के मु0न0 210/42 मे मौका पर कोन काबिज है कृपया सूचना उपलब्ध कराने का श्रम करे।
3. वर्तमान में चक नम्बर 13 एम.एल.डी.बी. के मु0न0 210/42 की क्या स्थिती है कृपया सूचना उपलब्ध कराने का श्रम करे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ से चाही गई सूचना उनके द्वारा 30 दिवस का समय व्यतीत हो जाने पर भी उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 918 दिनांक 31.10.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 28.08.17 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए तहसीलदार, घड़साना से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्र संख्या 820 दिनांक मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार, घड़साना को प्रेषित कर दिया गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्र सं0 821 दिनांक 15.09.17 के द्वारा दे दी गई थी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध तहसीलदार, घड़साना से होने के कारण अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 820 दिनांक 15.09.17 से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के लिए तहसीलदार घड़साना को प्रेषित किया गया है जिसकी प्रतिलिपी अपीलार्थी को भी पत्र सं0 821 दिनांक 15.09.17 के द्वारा प्रेषित की गई है। अपीलार्थी को चाही गई सूचनाओ के संबंध में तहसीलदार, घड़साना के कार्यालय में चाराजोही करनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज करने योग्य है।

74/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को निदेशित किया जाता है कि उन्हें अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा उक्त पत्र सं0 820 दिनांक 15.09.17 के द्वारा प्रेषित अपीलार्थी के आवेदन पत्र का आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ व तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2093-95
06/12/17

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा०

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर